

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 93/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी मां भवन, हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाडा
बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा
—अपीलार्थी —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 16/11/2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरुद्ध दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 180273 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 07.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को दिनांक 07.10.2020 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/823 दिनांक 08.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक की सूचना, सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक/705 दिनांक 06.11.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 16/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
भीलवाडा